राजस्थान आवासन मण्डल, उदयपुर

उदयपुर जिले में अटल नगर योजना, भीण्डर शहर में पंजीकृत/ अपंजीकृत आवदको के लिए किराया क्रय पद्धति / नगद भुगतान पद्धति पर खुली बिक्री योजना में शेष आवासो के आवंटन का "पहले आओ पहले पाओ" का स्वर्णिम अवसर

आवेदन बिक्री प्रारम्भ तिथी 21-09-2015 (कार्य दिवस/ समय में)

आवेदन बिक्री की अंतिम तिथी 18-12-2015 (कार्य दिवस/ समय में)

राजस्थान आवासन मण्डल के सम्पति अधिनियम 1970 के नियमानुसार भीण्डर शहर में आवासन मण्डल की आवासीय योजनाओं में मकानो की खुली बिक्री निम्नानुसार किया जाना निश्चित हुआ है :-

क्र.सं.	श्रेणी	आवास सं.	क्षैत्रफल (व.मी)	निर्मित क्षै. (व.मी)	लागत	पंजीकरण राशि एवं पूर्वग्रहण राशि	नगद भुगतान में तीन माह में जमा करने की राशि	किराया क्रय पद्धति में 1 माह में जमा करने की राशि
अटल नगर योजना, भीण्डर								
1	LIG	A-19, A-26, A-27, D-15, D-16,D-17, D-20 & D-21 = 08	6X12.00 = 72.00	31.78	707700.00	25000.00	690885.00	201739.00
2	MIG-A	D-28, D-29, D-30, D-31 = 04	6X15.00 = 90.00	48.86	1040900.00	90000.00	9932971.00	273752.00
3	MIG-B	B-01, B-16, B-17 & B-33 = 04	8X15.00 = 120.00	60.79	1472900.00	150000.00	1383251.00	366110.00

1.लागत के अतिरिक्त लीज राशि,विविधखर्च, कॉर्नर चार्ज एवं अतिरिक्त भूमि की राशि बोर्ड नियमानुसार देय है। 2. आवासो का आवंटन प्रस्तुत आवेदन फार्म में अंकित विकल्प के क्रम में किया जावेगा। 3. आवासो का आवंटन "जहॉं है जैसा है" की स्थिति पर किये जावेंगे तथा इस विषय में कोई आक्षेप स्वीकार नही किया जावेगा। 4. इस योजना में पूर्व पंजीकृत एवं अपंजीकृत आवेदको के आवंटन स्वीकार किये जावेंगे। 5. योजना के पूर्व आवेदको को आवंटन में प्रथम वरीयता दी जावेगी। 6. आवास के आवंटन हेतु आवेदन फार्म मूल आवेदक स्वयं के उपस्थित होने पर ही स्वीकार किये जावेंगे। 7. योजना में प्रस्तावित किसी भी आवास को लेकर विवाद उत्पन्न होता है उक्त आवास के संबंध में निर्णय करनेके लिए मण्डल स्वतंत्र होगा। 8. योजना के नियम, शर्ते एवं अन्य विवरण का उल्लेख आवेदन फार्म में वर्णित है। 9. आवेदको को पहचान स्वरूप पहचान पत्र, पासपोर्ट, आधार कार्ड, फोटो युक्त राशन कार्ड, ड्राईविंग लाईसेंस इत्यादि में से एक की छाया प्रति एवं पते का प्रमाण स्वरूप बिजली, पानी, टेलीफोन बिल में से एक की सत्यापित छाया प्रति आवेदन पत्र के साथ सलंग्न करनी होगी। 10. एक से अधिक एक ही मकान के आवेदन प्राप्त होने पर उसी दिन सायं 4.30 बजें लॉटरी से मकान आवंटन किया जावेगा। 11. पूर्व पंजीकृत आवेदको का पंजीकरण निरस्त नही होना चाहिए एवं पुनर्जीवित से संबंधित साक्ष्य एवं पूर्व पंजीकरण के अन्तर्गत जमा राशि के रिफण्ड नही होने तथा पंजीकरण के अन्तर्गत कोई अन्य आवास आवंटित नही होने का 10/- रूपयें के न्यायिक स्टाम्प पेपर पर नोटेरी से सत्यापित शपथ-पत्र प्रस्तुत करना होगा।12. खुली बिक्री योजना के आवेदन पत्र 100/- का नगद भुगतान जमा कर दिनांक 21.09.2014 से कार्यालय समय में प्राप्त किये जा सकते है।

सम्पर्क सूत्र

परियोजना अभियन्ता (व.)
खण्ड प्रथम, उदयपुर
अटल नगर, भीण्डर
मो. 9983349428

आवासीय अभियन्ता
खण्ड प्रथम, उदयपुर
पारस तिराहा, सेक्टर 11, उदयपुर
फोन नं. 0294-2583108
मो. 9983993895